खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनीयम के अधीन किये गये अपराध पर दण्ड का विवरण

धारा	अपराध		दण्ड		पर्याप्त व विशेष कारण होने पर न्यायालय का विवेकाधिकार (Discretion)	
1	2		3		4	
	1	2	1 अधिकतम	2 न्यूनतम	1 अधिकतम	2 न्यूनतम
धारा 16 (1क) (1)	यदि कोई व्यक्ति चाहे वह स्वयं या अपने निमित किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भारत में आयात करेगा, या विक्रयार्थ विनिर्माण करेगा या भंडारण, विक्रयार्थ या वितरण करेंगा।	कोई खाद्य पदार्थ जो धारा 2 के खण्ड (1क) के उपखण्ड (ड्) से लेकर उपखण्ड (ठ) तक में से किसी के अर्थ में अपमिश्रित हैं।	कारावास जो छह वर्ष तक का हो सकेगा तथा असीमित जुर्माना	एक वर्ष का कारावास तथा 2000 रू0 जुर्माना	कोई विवेकाधिकार नहीं	कोई विवेकाधिकार नहीं
16 1क (i) परतुंक	यथा	यदि उपभोग किये जाने पर मृत्यु होना या गंभीर चोट आना संभाव्य है।	आजीवन कारावास तथा असीमिति जुर्माना।	तीन वर्ष का कारावास तथा 5000 रू0 का जुर्माना	यथा	यथा
16 1क (ii)	यथा	अपद्रव्य जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर (injurious) हैं।	6 वर्ष का कठोर कारावास तथा असीमिति जुर्माना।	तीन वर्ष का कारावास तथा 5000 रू0 का जुर्माना	यथा	यथा
16 1क (ii) परतुंक	यथा	अपद्रब्य यदि उपभोग किए जोन पर मुत्यु या चोट आना सम्भाव्य है।	आजीवन कारावास तथा असीमिति जुर्माना।	तीन वर्ष का कारावास तथा 2000 रू0 का जुर्माना	यथा	यथा
16 (1क) (ख)	यथा	अपद्रब्य जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है।	तीन वर्ष का कारावास तथा असीमित जुर्माना।	6 माह का कारावास तथा 1000 रू0 का जुर्माना	यथा	यथा
16 (1)(क) (i)	यथा	कोई भी खाद्य पदार्थ जो प्राथमिक खाद्य नहीं है तथा धारा 2 के खण्ड (1क) घ उपखण्ड (ड) के रूप में अपमिश्रित है।	यथा	यथा	यथा	यथा
16 (1)(क) (i)	यथा	खाद्य जिसकी बिक्री इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों के अधीन अथवा खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी के निर्देश से प्रतिषिद्ध है।	यथा	यथा	यथा	यथा

16 (1)(क) परतुंक(1)1	1	प्राथमिक खाद्य जो मानवीय नियंत्रण के कारण धारा 2 (1क) (ड़) के अधीन अपमिश्रित है।	यथा	यथा	दो वर्ष का कारावास तथा असीमित जुर्माना	तीन मास का कारावास तथा 500 रू0 जुर्माना।
16 (1)(क) परतुंक(1)	यथा	कोइ खाद्य पदार्थ जो धारा 2 के (iv) (2) के अर्थ में अपमिश्रित है क्योंकि उस पर इस अधिनियम या तदृधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षा के अनुसार लेबल नहीं लगाया गया है।	यथा	यथा	यथा	यथा
16 (1)(क) अतिरिक्त पर	यदि कोई व्यक्ति चाहे स्वयं या निमित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी पदार्थ का भारत में आयात करेगा या विक्रयार्थ विनिर्माण करेगा या भण्डारकरण विक्रय या वितरण करेगा।	यदि कोई अपराध खण्ड (क) के उपधारा (ii) के अधीन तथा धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (क)या खण्ड (छ) के अधीन अथवा धारा 24 के उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन बनाये गये किसी नियम के उल्लघंन के सम्बन्ध में है तथा लाइसेंस के बारे में।	तीन वर्घ का कारावास तथा असीमित जुर्माना	6 मास का कारावास तथा 1000 का जुर्माना।	3 मास का कारावास तथा 500 रू0 जुर्माना	न्यायालय के उठने तक का कारावास तथा जुर्माना जो न्यायालय 500 रू0 तक उचित समझे।
16 (1) (ग)	कोई व्यक्ति	किसी खाद्य निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप से नमूने लेने से रोकेगी।	यथा	यथा	कोई विशेषाधिकार नहीं हैं।	कोई विशेषाधिकार नहीं हैं।
16 (1) (घ)		किसी खाद्य निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने से रोकेगा।	यथा	यथा	यथा	यथा
16 (1) (ड़)	कोई व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माता होते हुए किसी अपद्रब्य को अपने कब्जे या अपने अधिभोगाधीन किसी परिसर में रखता है	कोई अपद्रब्य जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर न हो।	यथा	यथा	यथा	यथा

16 (1) (च)	कोई व्यक्ति	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक द्वारा या किसी लोक विश्लेषक द्वाराकी गई किसी परख या विश्लेषण की किसी रिपोर्ट या प्रमाण पत्र का अथवा उसके किसी उद्धरण का उपयोग किसी पदार्थ के विज्ञापन के प्रयोजन के लिए करेगा।	यथा	यथा	यथा	यथा
16 (1) (छ)	कोई व्यक्ति चाहे स्वयं या अपने निमित किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा	किसी ऐसे खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा विक्रय किया जाना हो, मित्या वारण्टी विक्रेता को देगा।	यथा	यथा	यथा	यथा
16 (1क)	कोई व्यक्ति जिसकी सुरक्षित अभिरक्षा में कोई खाद्य पदार्थ धारा 10 (4) उपधारा (iv) के अधीन रखा गया है	ऐसे पदार्थ को बिगाड़ता है या उसमें अन्य किसी रीति से हस्तक्षेप करता है।	दो वर्ष तक का कारावास और असीमित जुर्माना।	तीन वर्ष का कारावास या 5000 रू जुर्माना	यथा	यथा
16 (1ख)	यथा	ऐसे पदार्थ का विक्रया या वितरण करता है कि जो धारा 2क खण्ड (1क) के उपखण्ड (ज) के अर्थ में अपमिश्रित पाया जाता है और जिसके किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर उसकी मृत्यु होना या गंभीर चोट का आना सम्भाव्य है।	आजावन कारावास तथा असीमित जुर्माना	तीन वर्ष का कारावास तथा 5000 रू0 का जुर्माना	यथा	यथा
16 (1ग)	यदि कोई व्यक्ति धारा 14 या 14 क के उपबंधों का उल्लंघन करता है।		6 मास तक का कारावास तथा असीमित जुर्माना	न्यायालय तक क उठने का कारावास तथा 500 रू0 जुर्माना	यथा	यथा